पत्रांक: SHSB/AOCell/01/2020(P-1)/9664

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

पटना, दिनांक : 26-03-2020

विषय: COVID 19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंधन हेतु सभी अनुमंडलीय अस्पताल में Isolation Ward संचालित करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 9538 दिनांक 22.03.2020

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा कोरोना वायरस के चिकित्सकीय उपचार हेतु जिलान्तर्गत सभी अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल/30 शय्याओं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पृथक रूप से 05 बेड का Isolation Ward क्रियाशील करने का निदेश दिया गया है।

2. उक्त प्रासंगिक पत्र में दिये गये निदेश को संशोधित करते हुये कहना है कि जिलान्तर्गत सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में Isolation Ward तुरत के प्रभाव से संचालित किया जाना है और अनुमंडलीय अस्पताल में उपलब्ध सभी बेड का उपयोग Isolation Ward में किया जायेगा। संक्रमण के प्रसार के रोकथाम को दृष्टिपथ में रखते हुये Isolation Ward अनुमंडलीय अस्पताल में OPD की सुविधाओं से बिल्कुल पृथक होगा। अनुमंडलीय अस्पताल में Isolation ward के संचालन हेतु जिलान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में पदस्थापित/कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को जिला के अनुमंडलीय अस्पताल में तत्काल Orient कर प्रतिनियुक्त किया जाय। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति इस विधि से किया जाय कि वहाँ सिर्फ प्रसव हेतु गर्भवती माताओं एवं सामान्य फ्लू आदि से संबंधित चिकित्सकीय कार्य की ही सुविधा फिलहाल दी जा सके। विशेष चिकित्सकीय कार्य/कार्यक्रम तत्काल स्थगित रहेंगे। अनुमंडलीय अस्पताल के Isolation ward के चिकित्सकों/कर्मियों हेतु मास्क, दस्ताना, Personal Protection Equipment (PPE) Kit आदि की समुचित व्यवस्था की जाये। सभी चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश की प्रति उपलब्ध कराते हुये तत्काल Orient किया जाये। COVID- 19 के चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु आवश्यक औषधियों एवं Medical Devices/Consumable की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। साथ ही, Isolation Ward के चिकित्सकों एवं कर्मियों को Prophylaxis के रूप में ICMR के National Taskforce for COVID-19 द्वारा अनुशंसित Hydroxychloroquine Tablet IP

आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाये। उक्त औषधि की आवश्यकतानुरूप आपूर्ति हेतु BMSICL को Indent किया जाये।

4. सभी अनुमंडलीय अस्पताल में पूर्व से भर्ती मरीजों (COVID-19 एवं इससे संबंधित संदेहात्मक मरीजों को छोड़कर), जो सामान्य/स्थिर स्थिति में आ चुके है, उन्हें शीघ्र अस्पताल से मुक्त कर दिया जाय और नये सामान्य/स्थिर मरीजों की भर्ती अनुमंडलीय अस्पताल में नही किया जाये।

5. पूर्व में निर्गत निदेश के आलोक में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल में Isolation Ward यथावत क्रियाशील और संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडलीय अस्पताल के सभी शय्या (बेड) को Isloation Ward के रूप में संचालित किया जाये।

6. उक्त का अनुपालन तुरत के प्रभाव से सुनिश्चित कराया जाये।

विश्वासभाजन

26/3/2020

(संजय कुमार)

पत्रांक: SHSB/AOCell/01/2020(P-1)/.............

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें,
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

पटना, दिनांक : ....

विषय: COVID 19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंधन हेतु सभी अनुमंडलीय अस्पताल में Isolation Ward संचालित करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 9538 दिनांक 22.03.2020

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा कोरोना वायरस के चिकित्सकीय उपचार हेतु जिलान्तर्गत सभी अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल/30 शय्याओं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पृथक रूप से 05 बेड का Isolation Ward क्रियाशील करने का निदेश दिया गया है।

2. उक्त प्रासंगिक पत्र में दिये गये निदेश को संशोधित करते हुये कहना है कि जिलान्तर्गत सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में Isolation Ward तुरत के प्रभाव से संचालित किया जाना है और अनुमंडलीय अस्पताल में उपलब्ध सभी बेड का उपयोग Isolation Ward में किया जायेगा। संक्रमण के प्रसार के रोकथाम को दृष्टिपथ में रखते हुये Isolation Ward अनुमंडलीय अस्पताल में OPD की सुविधाओं से बिल्कुल पृथक होगा। अनुमंडलीय अस्पताल में Isolation ward के संचालन हेतु जिलान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में पदस्थापित/कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को जिला के अनुमंडलीय अस्पताल में तत्काल Orient कर प्रतिनियुक्त किया जाय। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति इस विधि से किया जाय कि वहाँ सिर्फ प्रसव हेतु गर्भवती माताओं एवं सामान्य फ्लू आदि से संबंधित चिकित्सकीय कार्य की ही सुविधा फिलहाल दी जा सके। विशेष चिकित्सकीय कार्य/कार्यक्रम तत्काल स्थगित रहेंगे। अनुमंडलीय अस्पताल के Isolation ward के चिकित्सकों/कर्मियों हेतु मास्क, दस्ताना, Personal Protection Equipment (PPE) Kit आदि की समुचित व्यवस्था की जाये। सभी चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश की प्रति उपलब्ध कराते हुये तत्काल Orient किया जाये। COVID-19 के चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु आवश्यक औषधियों एवं Medical Devices/Consumable की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। साथ ही, Isolation Ward के चिकित्सकों एवं कर्मियों को Prophylaxis के रूप में ICMR के National Taskforce for COVID-19 द्वारा अनुशंसित Hydroxychloroquine Tablet IP

आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाये। उक्त औषधि की आवश्यकतानुरूप आपूर्ति हेतु BMSICL को Indent किया जाये।

4. सभी अनुमंडलीय अस्पताल में पूर्व से भर्ती मरीजों (COVID-19 एवं इससे संबंधित संदेहात्मक मरीजों को छोड़कर), जो सामान्य/स्थिर स्थिति में आ चुके है, उन्हें शीघ्र अस्पताल से मुक्त कर दिया जाय और नये सामान्य/स्थिर मरीजों की भर्ती अनुमंडलीय अस्पताल में नही किया जाये।

5. पूर्व में निर्गत निदेश के आलोक में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल में Isolation Ward यथावत क्रियाशील और संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडलीय अस्पताल के सभी शय्या (बेड) को Isloation Ward के रूप में संचालित किया जाये।

6. उक्त का अनुपालन तुरत के प्रभाव से सुनिश्चित कराया जाये।

विश्वासभाजन
ह०/-
(संजय कुमार)

ज्ञापांक 9664 पटना, दिनांक 26.03.2020

प्रतिलिपि:-

- मुख्य सचिव, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/2020
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग